62

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

(1) रामसिंह पिता रामखेलावन सिंह निवासी ग्राम व तहसील सेमरिया जिलारीवाम0प्र0

(2) सुरेन्द्र सिंह तनय श्री रघुवर सिंह निवासी ग्राम व तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

(3) विनोद सिंह पिता श्रीमान् सिंह निवासी ग्राम व तह0 सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

(4) इन्द्रभान सिंह (मृत) तनय श्री चन्द्रभान सिंह के वारिस पुत्र वधू

– साधना सिंह पत्नी स्व0श्री प्रभाकर सिंह निवासी ग्राम तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

-- आवेदक/निगरानीकर्तागण

R 5221-II/17

बनाम्

शासन म0प्र0

---- गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

अधि० श्री पु० एस० मिश्रा द्वारा पेश। 27.5.17

क्लर्क ऑफ कोर्ट ... ग्वालियर ... (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी बिरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी क्षेत्र सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 183–68/(अ) अपील/2014– 2015 पुनरावलोकन अनुमतिआवेदन पत्र जिलाध्यक्ष महोदय, रीवा के आर्डरसीट दिनांक 10/6/2016 के विरुद्ध

निगरानी बिरुद्ध अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959ई0

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त तथ्य निम्न है:-

(अ) यहकि भूमि ग्राम कोटरा पटवारी हल्का सेमरिया तह0सिरमौर हाल सेमरिया जिला रीवा मध्यप्रदेश की भूमि खसरा क्रमांक 352/1 रकबा 2.31 एकड़ के अंश रकबा 0.22 एकड़, निगरानीकर्ता/ आवेदक क्रमांक 1 की पुस्तैनी कब्जे दखल की भूमि है। तथा आराजी खसरा क्रमांक 334/3 रकबा 0.07 एकड़, आवेदक/ निगरानीकर्ता

निरन्तर 2पर

रामसिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 522–दो/2017 निगरानी जिला – रीवा

थाना दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 18 अ–68/2014–15 अपील में पुनरावलोकन अनुमति वावत् लिये गये निर्णय दिनांक 10–6–16 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल में दिनांक 25–7–17 को प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक को निगरानी की प्रचलनशीलता पर एंव अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों पर सुना गया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि पुनरावलोकन के सम्बन्ध में जानकारी होने पर दिनांक 25–3–17 को प्रमाणित प्रतिलिपि का आवेदन दिया गया तथा दिनांक 28–3–17 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई, किन्तु आवेदकों को कानून की जानकारी न होने से वह दिनांक 22–5–17 को अभिभाषक से मिले और निगरानी तैयार कराकर जानकारी के दिन से समयावधि में प्रस्तुत की गई है । निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर प्रकरण में सुनवाई की जाय। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अवधि विधान की धारा–5 में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि दिनांक 28–3–17 को कलेक्टर रीवा के आदेश की आवेदकगण को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हो गई है, तब उन्होंने तत्काल अभिभाषक से संपर्क न करते हुये 22–5–17 को अभिभाषक से संपर्क किया, तर्क असंगत है, जबकि आवेदकगण को 28–3–17 के वाद के	

दिनों का दिन प्रतिदिन का हिसाव देना चाहिये। इस प्रकार आवेदकगण के अभिभाषक दिनांक 25–7–27 को निगरानी प्रस्तुत करने के कारणों का समाधान नहीं करा सके हैं। फलस्वरूप निगरानी अवधि–वाह्य होने से प्रचलन–योग्य योग्य नहीं है। कलेक्टर जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 18 अ–68/2014–15 अपील में लिये गये निर्णय दिनांक 10–6–16 से अनुविभागीय अधिकारी को पुनरावलोकन की दी गई अनुमति के कम में आवेदकगण को अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर/सेमरिया के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्राप्त है जिसके कारण कलेक्टर जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 18 अ–68/2014–15 अपील में लिये गये निर्णय दिनांक 10–6–16 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अवधि–वाह्य प्रस्तुत होने के कारण निरस्त की जाती है।

सदस्य